न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 1/2018 दायरा दिनांक : 02.01.2018

उनवान

1– बजरंग लाल पुत्र बिरधा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– रामकल्याण पुत्र बिरधा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– बलराम पुत्र बिरधा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रहलाद पुत्र रामरतन, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– रूपचन्द पुत्र रामरतन, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– भंवरीबाई पुत्री रामरतन पत्नी दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी देवरी तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– धन्नी बाई पुत्री रामरतन पत्नी जगदीश, जाति धाकड़, निवासी दीगोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– कैलाश बाई पुत्री रामरतन पत्नी लेखराज, जाति धाकड़, निवासी देवरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– पुष्पा बाई बेवा रामरतन, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– जगदीश पुत्र घीसा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8– पाना चन्द पुत्र घीसा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9– आनन्दीलाल पुत्र घीसा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10– रामचन्द्र पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
... अपील प्राधिकारी

11– मोहनलाल पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

12– दुर्गाशंकर पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

13– बद्रीबाई पुत्री गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

14– भूलीबाई पुत्री गोपाल पत्नी रामकरण, जाति धाकड़, निवासी किशनपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

15– छीतरलाल पुत्र माधो, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16– हरिबल्लभ पुत्र माधो, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

16/1– विनोद पुत्र हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16/2– बनवारी पुत्र हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16/3– गीता पुत्री हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16/4– मोहनी पुत्री हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

17– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा तारज, तहसील खानपुर

18– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1115 / दावा / 2016 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 16.05.2017 एवं संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक 15.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत लोक अदालत कैम्प तारज में निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं बंटवारे का वाद पेश किया जिसमें पत्रावली तलबी में चल रही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारा को बिना सूचना प्रकरण को कैम्प तारज में रख कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पक्षकारान की तलबी नहीं करवायी और अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 16.05.2017 एवं संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक 15.06.2017 निरस्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2017 की आदेशिका फिर तारीख दिनांक 22.03.2017 फिर तारीख 24.05.2017 से पूर्व दिनांक 16.05.2017 को कैम्प में रख लिया । अपीलांट का कोई प्रार्थना पत्र नहीं है कि लोक अदालत में रखे । कुल 22 बीघा 7 बिस्वा के बारे में विवाद है । हमारा अन्य जमाबंदियों में आपसी बंटवारा हो चुका है जिनके बंटवारे का आदेश नहीं है जो नम्बर हमने मेन्शन किये उनकी

(जितेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एव
राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज.)

डिक्री जारी होनी चाहिए । दिनांक 15.06.2017 की आर्डरशीट शेष जमाबंदियों में सहवन से अंकित नहीं होना बताया तथा संशोधित डिक्री जारी कर दी । आर आर टी 2018(1) पेज 582 पेश की । अतः प्रकरण रिमाण्ड करें तथा दावा साबित करने का मौका देवे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि बंटवारे का दावा पेश किया । वादी लोक अदालत में उपस्थित हुए उनकी सहमति से । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का नहीं सुना गया जितना रिकार्ड में है उतना ही मिलेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड के अनुसार बंटवारा किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2017 को कैम्प तारज में विभाजन की डिक्री जारी की गई । दिनांक 15.06.2017 को धारा 151 सी पी सी के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त आराजियात को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की तथा रेकार्ड के मुताबिक बंटवारा आदेश दिया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2017 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– बजरंग लाल पुत्र बिरधा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– रामकल्याण पुत्र बिरधा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– बलराम पुत्र बिरधा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रहलाद पुत्र रामरतन, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– रूपचन्द पुत्र रामरतन, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– भंवरीबाई पुत्री रामरतन पत्नी दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी देवरी तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– धन्नी बाई पुत्री रामरतन पत्नी जगदीश, जाति धाकड़, निवासी दीगोद, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– कैलाश बाई पुत्री रामरतन पत्नी लेखराज, जाति धाकड़, निवासी देवरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– पुष्पा बाई बेवा रामरतन, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– जगदीश पुत्र घीसा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8– पाना चन्द पुत्र घीसा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9– आनन्दीलाल पुत्र घीसा, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10– रामचन्द्र पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11– मोहनलाल पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

12– दुर्गाशंकर पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

13– बद्रीबाई पुत्री गोपाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

14– भूलीबाई पुत्री गोपाल पत्नी रामकरण, जाति धाकड़, निवासी किशनपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

15– छीतरलाल पुत्र माधो, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16– हरिबल्लभ पुत्र माधो, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

16/1–विनोद पुत्र हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16/2–बनवारी पुत्र हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16/3–गीता पुत्री हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

16/4–मोहनी पुत्री हरिबल्लभ, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

17– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा तारज, तहसील खानपुर

18– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील नं.	01/2018	व	नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, खानपुर
मु.द.नं	1115/दावा/2016		निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक – 16–05–2017
			निर्णय एवं संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक –15–06–2017

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 09 माह 11 सन् 2020

हाजरी **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2017 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2017 यथावत रखा जाता हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18** माह **11** सन् **2020** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.